


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
18-10-23	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्केन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18-12-23 को पेश हो। कुमारी	
18-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्केन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21-12-23 को पेश हो। कुमारी	
21-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्केन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28-12-23 को पेश हो। कुमारी	
28-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्केन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4-1-24 को पेश हो। कुमारी	
4-1-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26-12-2023 तद्वतीन्दार शीमाचौड़ी द्वारा सुरेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसको शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में नहील नारी ने बहस मांतिम किये जाने को निवेदन किया जिस पर प्रकरण में मांतिम बहस सुनी जाऊ नहील नारी द्वारा प्राप्त वाद पत्र लक्षात् एवं लक्ष्मी निवेद्याता को शामिल रूप से लीकन को निर्णय प्रकृत है। लीकनाप्रा जाऊ शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फॉर्मल सुना होऊ वाद तदमील कम्प्लैट दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">               04/01/24              सहायक कलेक्टर (फारट ट्रेक)              श्रीमधोपुर (नीमकाधाना)         </p>	

हुक्म की तालीम में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना(राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक(अन्तिम डिक्री)
107 / 2022	2022 / 178	05.08.2022	04.01.2024

**उनवान प्रकरण**

1. महेश कुमार पुत्र घीसा उम्र 68 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

— वादी—

**बनाम्**

1. उमाशंकर पुत्र घीसालाल
2. द्वारिका प्रसाद पुत्र घीसालाल
3. मूलचन्द पुत्र सुरज मल
4. राजेन्द्र पुत्र सुरज मल
5. पवन सिंह पुत्र रणवीर सिंह
6. रणवीर सिंह पुत्र श्री जवान सिंह
7. समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
9. उपपंजीयक अजीतगढ़ जिला सीकर।

— प्रतिवादीगण —

**उपस्थित:—**


श्री सरदार सिंह चौधरी, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री धमेन्द्र सामौता, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से।

**वादपत्र बाबतघोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

(अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

  
04/01/24  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)



-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में नया खाता संख्या 324 पुराना खाता संख्या 355 की आराजी खसरा नम्बर 2329 रकबा 0.3000 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3000 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। जिसमें वादी का शामिलता हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त उल्लेखित वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा 739/4500 हिस्सा का सहखातेदारी की भूमि में हिस्सा अविभाजित संयुक्त खातेदारी की कब्जेकाशत की भूमि है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार भूरी देवी पत्नी सुरज मल का देहान्त हो गया है तथा विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण नहीं खुला है। राजस्व रिकॉर्ड भूरी देवी पत्नी सुरज मल के नाम चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण 3 व 4 भूरी देवी पत्नी सुरज मल के विधिक वारिसान होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त उल्लेखित वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है। जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 अपने अपने हिस्से पर काबिज काशत हो उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा उक्त सम्पति का लगान सरकारी वादी द्वारा अदा किया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का विधि अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन नहीं हुआ तथा पक्षकारगण उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज हो काशत करते आ रहे हैं। वर्तमान में उपरोक्त वर्णित विवादग्रस्त भूमि के भावों में तीव्र बढ़ोतरी हुई जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मन में बदनियति उत्पन्न हो गई है तथा उक्त वर्णित भूमि का बिना विधिवत तकास्मा कराये विवादग्रस्त भूमि को विशिष्ट भू भाग के रूप में कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हो रहे हैं परन्तु उक्त वर्णित विवादग्रस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की अविभाजित भूमि सहखातेदारी कब्जे काशत की भूमि है। दिनांक 01.08.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 पांच सात दीगर व्यक्तियों को लेकर मौके पर आये और विवादग्रस्त भूमि को दिखाने लगे तो वादी द्वारा उनके आने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि हम विवादग्रस्त भूमि का बिना विधिवत तकास्मा कराये विशिष्ट भू भाग के रूप में कृषि भूमि को बेचान कर उस पर निर्माण कार्य करेगे जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से कहा कि अभी विवादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इस कारण आप भूमि का विशिष्ट भू भाग के रूप में बेचान नहीं कर सकते हैं, ना ही निर्माण कार्य कर सकते हैं और ना ही उक्त विवादग्रस्त भूमि के किसी भी विशिष्ट भू भाग पर निर्माण कार्य कर सकते हैं। पहले भूमि का विभाजन करवा लो उसके बाद भूमि का बेचान कर देना उक्त बात को सुनकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व उनके साथ आये पांच सात दीगर व्यक्ति वादी को धमकाने लगे की हमतो उक्त विवादग्रस्त भूमि पर उक्त विवादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू भाग पर निर्माण कार्य करेगे तुम्हे जो करना हो सो कर लो उक्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की धमकी के कारण उक्त वाद बाबत तकास्मा व



*Rathore*  
04/10/24

सहायक कलेक्टर (कास्ट ट्रेड)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाधाना)

स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी हुआ है। वादी को यह अधिकार हासिल है कि उपरोक्त वर्णित भूमियों का उपरोक्त वर्णितानुसार हिस्से का वादी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा कर अपने हिस्से की भूमि का अलग पर्चा जारी करावें व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाये कि प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित भूमियों का बिना विधिवत विभाजन कराये विशिष्ट भू भाग के रूप में बेचान व हस्तान्तरण, रहन, बक्शीश व किसी प्रकार से अन्तरित ना करे ना ही मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करावें तथा ना ही विवादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू भाग पर निर्माण करे तथा ना ही वादी को उसके हक व हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित करे, ना ही राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करें, ना ही भूमि का कोई विक्रय पत्र हस्तान्तरण पत्र तस्दीक करें, नही तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। वकील वादी के द्वारा चाहा गया अनुतोष इस प्रकार है कि नया खाता संख्या 324 पुराना खाता संख्या 355 की आराजी खसरा नम्बर 2329 रकबा 0.3000 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3000 हैक्टर अवस्थित ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा कर 739/4500 हिस्से का वादी का अलग पर्चा जारी करावें तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने हेतु प्रतिवादी संख्या 7 को निर्देशित किया जावें एवं प्रतिवादीगणको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर श्री धर्मेन्द्र सामौता एडो उपस्थित आये। प्रकरण में वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 की ओर से आदेशिका पर हस्ताक्षर कर सहमति व्यक्त करते हुये वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन कराया जाकर अलग बट्टा नम्बर डालकर वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुये अलग-अलग सीव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण में वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण की प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही पक्षकारान के मौके पर हक हिस्से एवं कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 13.10.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प-51/2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रैजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार




श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भूअ./23/22 दिनांक 22.12.2023 द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई। वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वकुलाय उभय पक्षकारान ने अपनी सहमति जाहिर की।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादपत्र में उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार होना तथा खातेदार भूरी देवी पत्नि सुरजमल का देहान्त होना प्रकट होता है। इस आधार पर वादी काश्तकारी अधिनियम-1955 के अन्तर्गत धारा-53 बंटवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने-अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रजात रिपोर्ट से वकील वादी व पक्षकारान ने अपनी सहमति जाहिर की है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 22.12.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :-

  
तहसीलदार (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकायाना)



जमाबंदी के अनुसार खाते की स्थिति :-


क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खं०नं०	रकबा (है०)	किस्म	ल्यान
1.	324	उमाशंकर पुत्र घीसालाल हि० 739/4500 जाति ब्राह्मण द्वारिका प्रसाद पुत्र घीसालाल हि० 739/4500 जाति ब्राह्मण पवनसिंह पुत्र रणवीरसिंह हि० 11/1500 जाति राजपूत भूरी देवी पत्नी सूरजमल हि० 1/6 जाति ब्राह्मण मूलचन्द पुत्र सुरजमल हि० 1/6 जाति ब्राह्मण महेश कुमार पुत्र घीसालाल हि० 739/4500 जाति ब्राह्मण रणवीरसिंह पुत्र श्रीजवानसिंह हि० 11/1500 जाति राजपूत राजेन्द्र पुत्र सुरजमल हि० 239/1500 जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार	2329	0.30	बारानी 1	1.85
		योग	किता-1	0.30	-	1.85

मौके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव :-


क्र. सं.	खातेदार का नाम	खं०नं०	रकबा (है०)	किस्म	ल्यान
1.	राजेन्द्र पुत्र सुरजमल हि० 1/3 जाति ब्राह्मण मूलचन्द पुत्र सुरजमल हि० 1/3 जाति ब्राह्मण भूरी देवी पत्नी सूरजमल हि० 1/3 जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार नोट :- खातेदार भूरी देवी पत्नी सुरजमल फौत हो चुकी है। मजमे आम में मिली जानकारी अनुसार इनके निम्नांकित वारिसान पाये गये-राजेन्द्र पुत्र सुरजमल, मूलचन्द पुत्र सुरजमल, कमलादेवी पुत्री सुरजमल, कृपाशंकर पुत्र सुरजमल (कृपाशंकर रामेश्वर पुत्र मांगूराम के गोद गये हुए बताये गये।)	2329/1	0.14	बारानी 1	1.00
	योग	किता-1	0.14	-	1.00
2	द्वारिका प्रसाद पुत्र घीसालाल हि० पूर्ण जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार	2329/2	0.08	बारानी 1	0.45
	योग	किता-1	0.08	-	0.45
3	उमाशंकर पुत्र घीसालाल हि० पूर्ण जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार	2329/3	0.08	बारानी 1	0.40
	योग	किता-1	0.08	-	0.40

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1303 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



  
04/01/24  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (निर्णय ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
04/01/24  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
(दिलीप सिंह)  
श्रीमाधोपुर (निर्णय ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर